न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, उपखण्ड बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.-44/2020

1. रोतास पुत्र नोरंगराम उम्र 54 साल जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं
2. नरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 30 साल जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र खजान सिंह जाति जाट निवासी 110 हिरणकुदना नई दिल्ली 110041
2. सुबेतरन पुत्र प्रभाती लाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
3. अमर सिंह पुत्र हवासिंह
4. अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश
5. सावित्री पत्नी ओमप्रकाश
6. ईश्वर पुत्र हरदेवा
7. जयसिंह पुत्र नोरंगराम
8. दलीपचन्द पुत्र जुगलाल
9. धर्मपाल पुत्र देवकरण
10. बलबीर पुत्र देवकरण
11. महेश कुमार पुत्र देवकरण
12. सुनिल भालोठिया पुत्र ओमप्रकाश
13. सुरेश पुत्र जुगलाल समस्त जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना झुंझुनूं
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 251 (क) राज. राजस्व अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनांक : 06-06-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा किः-

1. वाके ग्राम सावंलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं [illegible] भूमि जमाबंदी संवत् 2075-78 के खसरा नं. 24 रकबा 1.94 है [illegible] आवेदकगण मकानात बनाकर आबाद है जिसमें आवेदक संख्या 1 का 1/12 [illegible] हिस्सा व आवेदक संख्या [illegible] का 1/48 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। आवदेकगण, ख. नं. 24 में आने-जाने [illegible] ये

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख. नं. 40 के उतरी-पश्चिमी कोने से ख.नं. 28 की उतरी सीमा के सहारे-सहारे ख.नं. 27 के उतरी-पूर्वी कोने का उपयोग करते हैं।

2. यह कि अनावेदक संख्या 1 की भूमि ख.नं. 40 व 59 की सीमा के मध्य कटानी रास्ता ख.नं. 1074/52 दर्ज है लेकिन मौके पर यह ख.नं. 40 की पूर्व से पश्चिम दिशा में उतरी सीमा सहारे-सहारे व कोने से मोड़ते हुये उतर से दक्षिण दिशा में पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे मौजूद है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क डाली हुई है।

3. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.नं. 24 में पहुचने के लिये ख.नं. 40 के उतरी-पश्चिमी कोने से ख.नं. 28 के उतरी सीमा के सहारे-सहारे व ख.नं. 27 के उतरी-पूर्वी कोने से होते हुये 14 फुट रास्ते की आवश्यकता है।

4. यह कि फसल कास्त होने के समय आवेदकगण की भूमि में आवागमन के लिये रास्ता बंद हो जाता है जिस बाबत वादी को यह प्रार्थना पत्र धाा 251 (क) करना आवश्यक हुआ है।

(2) प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।अप्रार्थीगण की तामील जरिए रजिस्टर ए.डी. करवाई गई। सम्यक् तामिल हुई।

(3) अनावेदक संख्या 02 की ओर से जवाब प्रति-प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमें आवेदकगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में चाहे गये रास्ते के विकल्प में अन्य रास्ता अंकित किया गया।

(4) आवेदकगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल नक्शा किस्तवार, जमाबंदी

सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 110,5,287,46 प्रस्तुत की गई।

(5) प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों एवं रास्ते के प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1670 दिनांक 08.04.2021 द्वारा प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट पर अनावेदक संख्या 2 द्वारा आपति दर्ज करवाई गई।

(6) बहससुनी गई।

(7)पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर
मनन किया गया।प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने
हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। मुताबिक तहसीलदार, बुहाना की
रिपोर्ट के अनुसार आवदेकगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है। अतः
बिन्दु संख्या 03 व 05 में अनावेदक संख्या 2 की ओर से दर्ज आपति को खारिज
किया जाता है।खसरा नम्बर24आवेदकण की [illegible] भूमि है जिसमें वह मकान
बनाकर आबाद है। न्यायालय प्रार्थी [illegible] रास्ते को मात्र जोतके
सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है
बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Ab[illegible]) का मामला पाता है। यह भी कि
आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:56 IST
Reason: SelfAttested

लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access)को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। आवेदक को रास्ते की भूमि का सुखाधिकार अर्जित हो जाने से अनावेदक का रास्ते की भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं बनता है, न हीं क्षतिपूर्ति का कोई आधार बनता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ख. नं. 24 में पहुचने के लिये ख.नं. 40 के उतरी–पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर निम्न तालिका के क्रमानुसार –

क्र.सं.	भौतिक स्थिति	माप
1	ख.नं. 28 की उतरी सीमा के सहारे	लम्बाई 117 मी. व चौड़ाई 4मीटर =468 वर्ग मीटर
2	ख.नं. 27 का उतरी–पूर्वी कोना	लम्बाई 16 मी. व चौड़ाई 4 मीटर = 64 वर्ग मीटर

कुल रकबा 532 वर्गमीटर बनता है, आवेदगकण को प्रदर्श – अ मौका नजरी नक्शा के अनुसार (एबीसी) रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में '' गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। मुआवजे का निर्धारण तहसीलदार बुहाना नियामनुसार कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिया जाता है। अनावेदकगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि कटानी रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा सुपुर्द किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ते में जाने वाले रकबा रहन मुक्त रखा जावे। प्रदर्श – अ निर्णय का भाग रहेगा।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:56 IST
Reason: SelfAttested